भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2052

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

गरीबी रेखा निर्धारित करने के मानदंड

2052. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गरीबी रेखा के निर्धारण के आधिकारिक मानदंडों का ब्यौरा क्या है और ये किस वर्ष से लागू हैं;

(ख) क्या सरकार ने तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति के बाद गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कोई नया वैज्ञानिक या व्यावहारिक मानदंड अधिसूचित नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान गरीबी रेखा के निर्धारण में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण और मुद्रास्फीति जैसे आवश्यक खर्चों को किस प्रकार शामिल किया गया है;

(घ) क्या गरीबी रेखा के निर्धारण के पुराने मानदंडों के कारण वास्तविक गरीब लोग कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार निकट भविष्य में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए नए और समकालीन मानदंड तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा तय की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ) नीति आयोग ने 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: प्रगति समीक्षा-2023' नामक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का दूसरा संस्करण जारी किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एल्कायर (एएफ) फोस्टर पद्धति पर आधारित है जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में 12 संकेतकों को शामिल करते हुए अतिव्यापी अभावों को दर्शाता है। आधारभूत रिपोर्ट नवंबर 2021 में प्रकाशित की गई तथा राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा 2005-06 में प्रकाशित भारत में बहुआयामी गरीबी पर चर्चा पत्र के अनुसार, ऐसा अनुमान है कि भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 के 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है, जिससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

सरकार ने बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व

अभियान, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), पीएम उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और पीएम विश्वकर्मा योजनाएं शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं।

*****